श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बदायूँ के निर्देशानुसार थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा 03 गैंगस्टर अभियुक्त की संपत्ति (अनुमानित कीमत 4,75,469/- रुपये) को जब्त किये जाने के सम्बन्ध में

आज दिनाँक 04-12-2022 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बदायूँ के आदेश के अनुपालन में तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ के निर्देशन में थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के 03 अभियुक्तगण 1.मुनेश पुत्र मदनलाल 2.सुनील 3.मुनेन्द्र पुत्रगण प्रेमपाल निवासीगण वार्ड न0 01 कस्वा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0स0 206/2022 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्तगण की 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के कुशल निर्देशन में एव श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदया बिसौली, श्रीमान क्षेत्राधिकारी बिसौली ,श्रीमान नायब तहसीलदार बिसौली बदायूँ व प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज बदायूं की अध्यक्षता मे थाना वजीरगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त 1.मुनेश पुत्र मदनलाल निवासी वार्ड न0 01 कस्वा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0स0 206/2022 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (मकान मे बने एक लेट्रीन व बाथरुम) कीमती 2,74,000/- (दो लाख चौहत्तर हजार रूपये) तथा अभियुक्तगण 1.सुनील 2.मुनेन्द्र पुत्रगण प्रेमपाल निवासीगण वार्ड न0 01 कस्वा व थाना वजीरगंज जिला बदायूँ सम्बन्धित मु0अ0स0 206/2022 धारा 2/3 गैंग0 एक्ट मे अभियुक्त की अचल सम्पत्ति (मकान मे बने एक कमरा) कीमती 2,01,469/- (दो लाख एक हजार चार सौ उन्हत्तर रूपये) (कुल कीमत 4,75,469/- रुपये) अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी ।

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ ।